फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर (राजस्थान)

बनाम

मुकदमा संख्या / वर्ष 241/21 : /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8/9/21	यह वाद वादी की ओर से श्री रामावतार गुर्जर एडवोकेट ने पेश किया। दावा दर्ज रजि० पेश कर प्रतिवादीगणों की तलबी लगाये रजि० डाक द्वारा कराई जावे। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 22/09/2021 को पेश हो। Saloni.K	
	22/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा सीमान 10 सप्तक अन्य रामावतार के व्यक्तव्य से पत्रावली प्रतीक्षार्थ वास्ते तलबी हेतु दिनांक 27/5/21 को पेश हो।	
	27/5/21	[illegible] 13/7/21 को पेश हो।	
	13/7/21	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा० श्रवण लाल के व्यक्तव्य पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 20/9/21 को पेश हो।	
	20/9/21	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा० गैरहाजिर। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 21/10/21 को पेश हो।	
	21-10-21	पत्रावली पेश हुई। तलबीस गई। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 21/10/21 को पेश हो।	
	21/10/21	तलबी 22/11/21	

जनवरी 2021

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	24-2-22	2243 का मुकदमा पत्रावली पेश हुई। नोटिस पर तामीली पत्रावली [illegible] को पेश हो। दिनांक 11-2-22	
	11.2.22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप्र प्रकरण में सीमांत कलक्टर महेशपुरा के पत्रांक 4228 जारी 23/9/21 के सम्बन्ध में मुन्तकिल तामीली पत्र प्राप्त हुआ है अतः मुन्तकिल प्रतिलिपि पत्र का इश्तहार जवाबदावा का Amount जारी पत्रावली दिनांक 11.3.22 को पेश हो।	
	11.3.22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप्र उपस्थित। सीमांत कलक्टर महेशपुरा का मुन्तकिल प्रतिलिपि पत्र की दिखाई टिप्पणी Amount जारी पत्रावली जारी 18/4/22 को पेश हो।	
	18/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप्र सीमांत कलक्टर महेशपुरा के मुन्तकिल प्रतिलिपि पत्र की दिखाई टिप्पणी Amount पत्रावली जारी 21/4/22 को पेश हो।	
	21/4/22	पत्रावली पेश हुई। सीमांत जिला कलक्टर महेशपुरा जयपुर के मुन्तकिल पत्र पत्र संख्या 121/2021 दिनांक 28/10/21 दिनांक 14.4.2022 को दिनांक पारित कर वादी मुन्तकिल प्रतिलिपि को लौटाने का लेख है। फोटोस्टेट प्रमाणित [illegible] पेश हो।

फर्द अहकाम

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली

बनाम कोर्ट में हाजिर

/ 20

उपखण्ड अधिकारी

24/2021

क्रम	विवरण आदेश या कार्यवाही	...पक्षों विवरण क्रम से	विशेष विवरण
		वकील वादी की अनुपस्थित होने के लिए आवेदन लगाया गया कोई उपस्थित नहीं आया। वकील वादी को बार बार बुलाने पर भी न्यायालय शासन भवन परिसर में आवाज लगाई गयी। इसके उपरान्त भी वकील वादी उपस्थित नहीं आया। अतः वकील वादी की अनुपस्थिति में वादी का वाद आदेश होगा। अगली पेशी के लिए दिनांक 04/01/22 को पक्षावली पेशगत शुमार होकर पक्षकार को याद दी।	

उपखण्ड अधिकारी (कोटपूतली)
उपखण्ड जयपुर

...2